



उत्तराखण्ड सरकार

# वित्त विभाग शासनादेशों का संकलन

(01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2019 तक)



पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड

मुद्रक :

संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)

2019

## प्रस्तावना

राज्य में वित्त विभाग के शासनादेशों/नियमावलियों के संकलन का छठा भाग प्रकाशित किया जा रहा है। यह संकलन संस्थागत जानकारी (MEMORY) को विकसित करने का प्रयास है। इसमें दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2019 तक के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमावलियों का संकलन किया गया है, संदर्भ की सुविधा के लिए इसे 16 उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उपभाग के प्रारम्भ में विषय सूची का उल्लेख किया गया है।

2. इस संकलन को पं०दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फार्मिनेशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड द्वारा श्री एल०एन० पन्त अपर सचिव वित्त/निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी श्री जे०सी० जोशी, निदेशक, सी०टी०आर०एफ०ए०, श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, उप निदेशक, सी०टी०आर०एफ०ए०, श्री खजान चन्द्र पाण्डे, वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल, एवं श्री प्रेम सागर नौटियाल की टीम द्वारा परिश्रम से तैयार किया गया है जो धन्यवाद के पात्र है।

3. आशा है कि यह संकलन वित्तीय प्रबंधन को सृष्टि करने हेतु राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

देहरादून : दिनांक 18 अप्रैल, 2019

अमित सिंह नेगी,  
सचिव वित्त  
उत्तराखण्ड शासन।

क. सं०	
1	
1	वे
2	ए
3	य
4	म
5	म
6	अ
7	स
8	पे
9	वि
10	आ
11	डी
12	टी
13	पी
14	ऑ
15	वि
16	परि